



# झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

## JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

झारखण्ड सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग  
एवम्

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ, नामकुम, राँची  
(छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग) झारखण्ड, राँची।  
विज्ञापित संख्या - 45/2013

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य, अन्तर्गत सभी अभिभावकों/छात्रों/छात्राओं/प्रधानाध्यापकों/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों/जिला शिक्षा अधीक्षकों/जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशकों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार ने विद्यालयों में अध्ययनरत् मेधावी छात्र/छात्राओं के अग्रेतर शिक्षण में प्रोत्साहन एवं सहयोग हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तीन प्रकार की छात्रवृत्ति योजना लागू की है:-

- (क) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति  
(ख) राज्य मेधा छात्रवृत्ति  
(ग) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति
2. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं की पात्रता:-
- (1) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा योजना (ग्रामीण) (2013-2014)- इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत् वैसे छात्र/छात्रा शामिल होने के पात्र होंगे जो ग्रामीण प्रखण्ड में अवस्थित विद्यालयों से कक्षा 8 (आठ) की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों एवं नवम् वर्ग में अध्ययनरत् हो तथा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये (महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों को छोड़कर) तक हो।
- (2) राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (2013-2014)- इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 7 (सात) में नामांकित एवं अध्ययनरत् वैसे छात्र/छात्रा शामिल होने के पात्र होंगे जो वर्ग 6 (छह) की परीक्षा में प्रथम् द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किए हों।
- (3) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (2013-2014)- इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 (आठ) में नामांकित एवं अध्ययनरत् वैसे छात्र/छात्रा शामिल होने के पात्र होंगे जो वर्ग 7 (सात) की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण हुआ हो तथा अपने समूह में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किये हों (अर्थात् प्रत्येक विद्यालय से तीन छात्र एवं तीन छात्रा आवेदन भर सकते हैं।) तथा जिनके पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 24,000/- (चौबीस हजार) रुपये से कम हो।
3. परीक्षा का प्रश्न-पत्र एवं स्तर :-
- (1) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना-यह छात्रवृत्ति भारत सरकार के निदेशानुसार विद्यालय स्तर पर नवम् एवं दशम् वर्ग के ग्रामीण प्रखण्ड के छात्र/छात्रा को देय है। इस परीक्षा के लिए प्रश्न आठवीं कक्षा के स्तर का होगा तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे।
- (2) राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा-इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रश्न छठवीं कक्षा के स्तर का होगा तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे।
- (3) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा - इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए प्रश्न सातवीं कक्षा के स्तर का होगा तथा सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे।
4. तीनों परीक्षाओं के लिए विषयवार अंकों का विभाजन :-  
तीनों परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के पूछे जायेंगे।  
विषयवार अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा :-

परीक्षा का नाम			
विषय	राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा	राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा	राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा
1. हिन्दी	40	40	40
2. अंग्रेजी	20	20	20
3. गणित	40	40	40
4. प्राकृतिक विज्ञान	40	40	40
5. सामाजिक विज्ञान	40	40	40
6. बौद्धिक योग्यता	20	20	20
<b>योग</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

5. परीक्षा की तिथि एवं समय :-  
राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना, राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा एवं राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा राज्य अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालयों में स्थित परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 1.12.2013 (रविवार) को पूर्वाह्न 10.00 (दस) बजे से अपराह्न 01.00(एक)बजे (कुल तीन घंटे) तक आयोजित होगी।
6. छात्रवृत्ति की राशि :-
- (1) राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति योजना - इसके अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को नवम् एवं दशम् वर्ग में प्रतिमाह 250.00 (दो सौ पचास) रुपये (वर्ष में कुल 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति के रूप में देय होगी। कक्षा 10वीं में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को वर्ग 9वीं की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।
- (2) राज्य मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा- इसके अन्तर्गत चयनित छात्र/छात्राओं को कक्षा 8 से 10 तक 200.00 (दो सौ) रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में देय होगी। यह छात्रवृत्ति आगामी वर्षों में तभी दी जायेगी जब वे 8वीं तथा 9वीं की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होंगे।
- (3) राज्य निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा- इसके अन्तर्गत चयनित छात्र/छात्राओं को कक्षा 8 से 10 तक 200.00 (दो सौ) रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में देय होगी। यह छात्रवृत्ति आगामी वर्षों में तभी दी जाएगी

जब वे कक्षा 8 से 9 की वार्षिक परीक्षा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होंगे।

7. परीक्षा शुल्क :-  
तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाएँ पूर्णतः नि:शुल्क है। आवेदन पत्र प्राप्त हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है।
8. आवेदन पत्र प्राप्ति स्थल:-  
तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाओं हेतु नि:शुल्क मुद्रित आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले में कार्यरत प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हस्तगत करायेंगे। प्रधानाध्यापक मुद्रित आवेदन-पत्र अपने विद्यालय के पात्रता धारण करने वाले छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करायेंगे। सभी आवेदन पत्रों को परिषद् के [website www.jac.nic.in](http://www.jac.nic.in) से download किया जा सकता है।
9. भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने का स्थल:-  
तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाओं हेतु भरे हुए आवेदन पत्र, छात्र/छात्रा अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जमा करेंगे। प्रधानाध्यापक, आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को हस्तगत करायेंगे। प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आवेदन पत्रों को जाँच कर तीनों परीक्षाओं के आवेदन पत्रों को अलग-अलग (राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति के लिए प्रपत्र-A, राज्य मेधा छात्रवृत्ति के लिए प्रपत्र-B एवं राज्य निर्धनता सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए प्रपत्र-C) समेकित कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को हस्तगत करायेंगे।
10. प्रवेश पत्र प्राप्ति स्थल :-  
तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाओं का प्रवेश पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित प्रधानाध्यापक को हस्तगत करायेंगे। प्रधानाध्यापक, परीक्षा के पूर्व प्रवेश पत्र संबंधित छात्र-छात्राओं को हस्तगत करायेंगे।
11. परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम :-  
तीनों छात्रवृत्ति परीक्षाओं से संबंधित कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

क्रम	परीक्षा कार्यक्रम	तिथि
1	परीक्षा की तिथि एवं समय	01.12.2013 (रविवार 10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे तक)
2	जिला शिक्षा पदाधिकारी को सादा आवेदन पत्र एवं बाँयोडाटा फार्म पहुँचाने की तिथि	12.08.2013 (सोमवार)
3	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सादा आवेदन पत्र एवं बाँयोडाटा फार्म हस्तगत कराने की तिथि	14.08.2013 (शुक्रवार)
4	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र संबंधित प्रधानाध्यापक को हस्तगत कराने की तिथि	19.08.2013 (सोमवार)से
5	आवेदन पत्र भरने की तिथि	30.08.2013 (शुक्रवार)तक
6	प्रधानाध्यापक द्वारा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भरा हुआ आवेदन पत्र हस्तगत कराने की तिथि	03.09.2013 (मंगलवार)
7	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र एवं सामेकित सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि	09.09.2013 (सोमवार)
8	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र एवं सामेकित सूची विशेष वाहक से परिषद् कार्यालय के कोषांग को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि	16.09.2013 (सोमवार)
9	परिषद् कार्यालय के परीक्षा कोषांग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रवेश पत्र भेजने की तिथि	20.11.2013 (बुधवार)
10	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रवेश पत्र संबंधित प्रधानाध्यापक को हस्तगत कराने की तिथि	23.11.2013 (शनिवार)
11	प्रधानाध्यापक द्वारा परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र हस्तगत कराने की तिथि	25.11.2013 (सोमवार)
12	परीक्षा सामग्री जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (केन्द्राधीक्षक) को हस्तगत कराने की तिथि	26.11.2013 (मंगलवार)
13	परीक्षा सामग्री जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (केन्द्राधीक्षक) को हस्तगत कराने की तिथि	27.11.2013 (बुधवार)
14	परीक्षा समाप्ति के पश्चात् केन्द्राधीक्षक (प्र.शि.प्र. पदाधिकारी)द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में परीक्षा सामग्री हस्तगत कराने की तिथि	02.12.2013 (सोमवार)
15	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा परीक्षा सामग्री परिषद् के अधिकृत विशेष वाहक को हस्तगत कराने की तिथि	03.12.2013 (मंगलवार)

12. किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति में टेलीफोन नं. 0651-6454027 एवं टोल फ्री नं. 18003456523 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह./- (सुनील कुमार राय)  
सचिव,

JAC/छात्रवृत्ति/03/05/SECY  
/394/13, Dt. - 14.08.2013  
D.O.P. - 15.08.2013

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,  
सह नोडल पदाधिकारी छात्रवृत्ति परीक्षा योजना,  
झारखण्ड, राँची